[Mr. Deputy Chairman]

So, Mr. Nitin Gadkari, a suggestion has come from the Leader of the Opposition, you put it for tomorrow. In the morning, we will discuss and decide. It is all right.

श्री नितिन जयराम गडकरीः सर, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ।

श्री उपसभापतिः सिर्फ मुझे नहीं, सभी को धन्यवाद दीजिए।

श्री नितिन जयराम गडकरीः सर, पूरे सदन को धन्यवाद देता हूं। एक मिनट में चार मौतें हो रही हैं। सर, हमें लोगों की जान बचानी हैं और श्री मुकुल राय जी ने इसमें काफी मेहनत की है।

श्री उपसभापतिः वे तो चुप बैठे थे, उन्हें बोलना चाहिए था।

श्री नितिन जयराम गडकरीः सर, श्री मुकल राय जी ने draft किया है।

GOVERNMENT BILLS

The Factories (Amendment) Bill, 2016

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we take the Factories (Amendment) Bill, 2016. Now, Shri Bandaru Dattatreya to move the Bill.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI BANDARU DATTATREYA): Sir, I move:

"That the Bill further to amend the Factories Act, 1948, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

The question was proposed.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. The time allotted is two hours, and, we should finish it. Now, Shri Ahmed Patel.

श्री अहमद पटेल (गुजरात)**:** उपसभापित महोदय, मैं Factories (Amendment) Bill, 2016 पर अपने विचार रखने के लिए सदन के सामने खड़ा हुआ हूं।

SHRI JAIRAM RAMESH (Karnataka): Sir, please bring the House in order. ...*(Interruptions)*... Sir, please bring the House in order. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Members, please do not stand in the passage and talk. ...*(Interruptions)*... Hon. Member, Navaneethakrishnanji, please. ...*(Interruptions)*...

श्री अहमद पटेलः उपसभापति महोदय, इस बिल में खास तौर पर यह बात कही गयी है कि हमारे श्रमिकों के overtime को बढ़ाकर 125 घंटे किया जाएगा। मुझे इसमें एतराज़ नहीं है, लेकिन मैं

समझता हूं कि यह न तो श्रमिकों के हित में है और न जन-हित में है। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि एक तरफ तो यह argument दिया जा रहा है कि overtime बढ़ाने से production बढ़ेगा और रोजगारी भी बढ़ेगी, लेकिन मैं समझता हूं कि इससे employment बढ़ने वाला नहीं है। इसलिए मेरा मानना है कि यह बिल न तो श्रमिकों के हित में है और न जन-हित में है। अगर यह किसी के हित में है तो सिर्फ उद्योगपतियों के हित में है, पूंजीपतियों के हित में है या उनके मित्रों के हित में है। महोदय, overtime बढ़ाए जाने के संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि इस से श्रमिकों का exploitation होगा, उत्पीड़न बढ़ेगा क्योंकि उन्हें overtime का मुआवजा तो मिलेगा नहीं, साथ ही उससे रोजगारी भी कम होगी। अगर आप सही मायनों में रोजगार उत्पन्न करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से सब से पहले आपको production बढ़ाना पड़ेगा और अगर आपको production बढ़ाना है, तो investment बढ़ाना पड़ेगा। महोदय, अब अगर आप आंकड़ों को देखें तो पाऐगे कि यूपीए की सरकार में यह 35 प्रतिशत था। उसमें तीन सालों में, there is hardly any increase, or there is no increase at all. अगर, investment ही नहीं बढ़ेगा, तो production कैसे बढ़ेगा? अगर production नहीं बढ़ेगा, तो लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा? खास तौर पर जो gross capital formation है, वह डिक्रीज हो रहा है, वह घट रहा है और प्राइवेट सेक्टर में जो उसका contribution होना चाहिए, 48 per cent under the Twelfth फाइनेंस कमीशन, उस पर तो कोई contribution हो नहीं रहा है, जो तय किया गया था। आप न तो production बढ़ा रहे हैं, न ही investment बढ़ा रहे हैं और न ही आप gross capital formation बढ़ा रहे हैं, तो employment कैसे बढ़ेगा? अगर आप देखेंगे, तो आज employment की हालत क्या है? जो बेरोजगारी की दर थी, unemployment का जो रेट था, वह 3.8 per cent था, वह आज बढ़कर 5 प्रतिशत हो गया है। आपने दो करोड़ लोगों को employment देने का वायदा किया था। अगर आप लेबर ब्यूरो रिपोर्ट के आंकड़े देखेंगे, तो 2015 और 2016 में सिर्फ एक लाख, तीन हजार लोगों को रोजगार दिया गया है, जबकि एक करोड़ लोग रोजगार ढूंढ रहे हैं। वे रोजगार के entitled हैं और वे चाहते हैं कि उनको रोजगार मिले। अगर आप यू.एन. ब्यूरो की रिपोर्ट देखेंगे, तो 2016-2017 में तकरीबन एक करोड़ सात लाख था, लेकिन इस साल एक करोड़ आठ लाख रोजगार आपको उपलब्ध कराने होंगे। एक तरफ तो unemployment बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है और production बढ़ नहीं रहा है, investment हो नहीं रहा है, दूसरी तरफ आप overtime बढ़ाए जा रहे हैं। आप argument कर सकते हैं कि जो वर्ल्ड लेबर ब्यूरो है, उसने 145 घंटे की बात की है, लेकिन जो हमारा देश है, इसमें जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, production बढ़ नहीं रहा है, मैं समझता हूं कि हमें इसको लागू नहीं करना चाहिए, अगर आप argument दे पाएंगे तो। आपकी सरकार खास तौर पर जिस प्रकार से ढोल पीट रही है कि economy तेजी से आगे बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ बेरोजगारी में वृद्धि हो रही है तथा आप ओवरटाइम को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि जो ये बेरोजगारी के आंकड़े हैं, उनको देखते हुए इस बिल का महत्व बढ़ जाता है। आप जिस मकसद के साथ, जिस उद्देश्य के साथ यह बिल लाए हैं, मैं समझता हूं कि आपका यह मकसद पूरा होने वाला नहीं है। यह सरकार नए रोजगार पैदा करने में तो विफल रही है और दूसरी तरफ सभी लोगों को दंडित करने की कोशिश कर रही हैं। अगर हमें स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, तो हम उसके लिए मरीजों को दंडित नहीं करते हैं। अगर हमारे पास शिक्षा के साधन या facility उपलब्ध नहीं हैं, तो उसके लिए हमें student को दंडित नहीं करना चाहिए। यहां जो हमारे श्रमिक हैं, हम उनको दंडित करने की कोशिश

[श्री अहमद पटेल]

कर रहे हैं, क्योंकि वे जो ओवरटाइम करेंगे, उससे मेरे ख्याल से उनकी टेंशन बढ़ेगी, उनके परिवार की टेंशन बढ़ेगी और उसको रोजगार तो मिलने वाला नहीं है। इससे बेराजगारी कम होगी और जो unemployment है, वह बढ़ेगा। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप खास तौर पर जो ओवरटाइम का बिल लेकर आए हैं, मैं समझता हूं कि यह श्रमिकों के हित में नहीं है और जनहित में भी नहीं है। ओवरटाइम बढ़ाने से श्रमिकों का कोई भला होने वाला नहीं है, जैसा मैंने कहा कि उनका exploitation होने वाला है। आप जो रोजगारी उपलब्ध कराने के लिए विकल्प सोच रहे हैं, यह विकल्प भी नहीं है या ऑल्टरनेटिव भी नहीं है। इसके लिए आपको investment बढ़ाना पड़ेगा, उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। हम पूंजीपतियों, उद्योगपतियों के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन आप उनको सुविधाएं दीजिए, investment बढ़ाइए। आप उनको ऐसी सुविधाएं दीजिए, ताकि वे अपना production बढ़ा सकें और लोगों को रोजगारी मिले। मैं कहूंगा कि यह कठोर कानून है और इसके जरिए आप श्रमिकों का अधिकार छीनने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे ख्याल से आपको यह अधिकार नहीं छीनना चाहिए। जो भी हमारे श्रमिक हैं, उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि उनको और फायदा हो और खास तौर पर जो employment है, रोजगार है, उसको बढ़ा सकें। आप वायदे तो बहुत करते हैं, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, आपने 2 करोड़ रोजगार देने का वायदा किया था, लेकिन जब आप 1 लाख रोजगार भी पर्याप्त नहीं दे पाए, तब इस तरह से जो बेरोजगारी है, उसको कैसे घटाएंगे? आप कह रहे हैं कि Ease of Doing Business के बहाने आप श्रमिकों को निकालने की प्रक्रिया को बढ़ावा दे रहे हैं। मेरा उस पर भी ऑब्जेक्शन है। मध्य प्रदेश और राजस्थान - हमारे जो लेबर लॉज हैं, श्रमिकों के लिए कानून हैं, वे जिस तरह से dilute किए जा रहे हैं, वह ठीक नहीं है। आपने देखा होगा कि कानून में यह प्रावधान रखा गया है कि अगर 300 से कम श्रमिकों वाली कंपनियां हैं, उनके लिए सरकार को सूचित करने की जरूरत नहीं है। यह तो एक तरीके से श्रमिकों के ऊपर अन्याय हुआ। उसके आगे, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मुझे संदेह है कि कहीं ऐसा भी कानून लाया जा रहा है कि जहाँ पर सिर्फ 40 श्रमिक काम करते हैं, वहाँ भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। हम क्या करने जा रहे हैं? क्या हम श्रमिकों के हितों की रक्षा करने जा रहे हैं या जो श्रमिकों के हित हैं, उनके साथ खिलवाड़ करने जा रहे हैं? आप यह जो भी बिल लाए हैं, चाहे राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, या आप यह जो अमेंडमेंट लाए हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपने इसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन्स हैं, श्रमिकों के संगठन हैं, उनसे consult करने की कोशिश की है, आपने उसके साथ कोई मशविरा किया है? अगर आपने मशविरा किया है, तो कब किया है और कितने संगठनों के साथ किया है? मेरे ख्याल से अगर आप इन प्रश्नों के उत्तर देंगे, तो हम आपके आभारी रहेंगे।

"The Model Shops and Establishment Bill", जो आपने सर्कुलेट किया है, मैं समझता हूं कि इसमें minimum wage, ईएसआई, पी.एफ. और सेवा की शर्तों को स्पष्ट नहीं किया गया है, उनको क्लियर नहीं किया गया है। मैं आपसे चाहूंगा कि आप इसके बारे में क्लैरिफिकेशन दें। यदि आप इसके बारे में स्पष्टीकरण देंगे, तो मैं समझता हूं कि सदन को इससे लाभ होगा।

इससे भी गंभीर विषय, जिसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, वह यह है कि एनडीए सरकार ने Employees' Provident Fund में जो संशोधन किया है, जैसे कि श्रमिकों की बचत को

शेयर बाजार में इनवेस्ट कर सकते हैं, उसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि आपके इस कदम से श्रमिकों की जो जीवन-भर की कमाई है, वह दाँव पर लगा दी गई है। उससे कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, आपको उसके बारे में भी सदन को बताना होगा। आपने यह भी कोशिश की है कि ईपीएफ से निकाली गई रकम या राशि पर टैक्स लगाया जाए, लेकिन आपकी यह कोशिश opposition के दबाव की वजह से विफल रही, आप उसमें विफल रहे। आप श्रमिकों के खिलाफ कार्यवाही क्यों कर रहे हैं, आप ऐसे कानून क्यों ला रहे हैं?

हमारी जो राज्य की सरकारें हैं, वे कानून, जिनसे श्रमिकों को नुकसान हो रहा है, ऐसे कानूनों को रोकने के लिए हम उनसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? हम सिर्फ पूंजीपतियों के बारे में सोच रहे हैं, industrialists के बारे में सोच रहे हैं, आप उनके बारे में सोचिए, हमें उस पर कोई एतराज नहीं है, क्योंकि हमारी जो economy है, उसमें उनका भी contribution है, लेकिन उनके साथ-साथ आप श्रमिकों के बारे में भी सोचिए।

मैं जो यह बात कह रहा हूं, वह सिर्फ organised sector की बात कर रहा हूं, लेकिन unorganised sector में क्या-क्या हो रहा है, मैं समझता हूं कि उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है।

महोदय, हमारा एक संघीय ढाँचा है। आप federal structure की बात तो करते हैं, लेकिन आप यह जो अमेंडमेंट ला रहे हैं, मैं समझता हूं कि हमारा यह जो संघीय ढांचा है, यह अमेंडमेंट उस पर भी एक हमला है। क्योंकि श्रम कानूनों को लागू करने की जिम्मेदारी राज्यों की है और ultimately जो भी राज्य हैं, उनके सामने अलग-अलग challenges हैं, अलग-अलग चुनौतियाँ हैं, इसीलिए संविधान ने राज्यों को यह जो अलग अधिकार दिया है, यह इसलिए दिया है ताकि वे उस विषय पर कानून और नियम जरूर बना सकें। अगर हम स्टेट से यह अधिकार ले लेंगे, जो रूल्स हैं, जो नियम हैं, अगर वे भी यहीं पर बनाएं जाएंगे, तो मैं समझता हूं कि हमारा जो यह फेडरल स्ट्रक्चर है, संघीय ढांचा है, उस पर भी एक हमला है।

महोदय, जो हमारा श्रमिक है, वह मशीन नहीं है कि आप उससे जितने घंटे चाहे, काम करवा लें। आप उससे 50 से 75, 75 से 100 और 100 से 125 घंटे काम करवा लें, जिससे प्रोडक्शन बढ़ जाए। आपको कम से कम उनका भी ख्याल रखना होगा, उनके परिवार का भी ख्याल रखना होगा। जो ओवरटाइम करता है, उसका जो मुआवजा है, मुआवजे की जो राशि उसको मिलनी चाहिए, वह राशि उसको नहीं मिल रही है। वह राशि जो भी हो, ओवरटाइम में कम ही मिलती है। हम उन पर यह जुल्म क्यों कर रहे हैं? यदि वे ओवर टाइम करना चाहें, करें, लेकिन आपको इसके लिए भी कोई कानून मेंडेंटरी बनाना चाहिए कि वे यहाँ इतने घंटे तक काम कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि ये जो सारी चीज़ें हैं, इनको घ्यान में रखने की जरूरत है। वे काम करते हैं, इसलिए कम से कम कुछ घंटे का आराम तो उनको मिलना ही चाहिए, कुछ घंटे का विराम मिलना चाहिए। अगर वे सौ, सवा सौ घंटे काम करने लगेंगे, तब तो हम उनसे एक मशीन की तरह काम ले रहे हैं। मेरे ख्याल से जो सरकार है, उसको यह चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। अगर कोई अधिक उत्पादन चाहता है, तो उनको अपने कर्मचारी बढ़ाने चाहिए। वे लोग अपना प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, तो अपने इम्प्लॉईज क्यों नहीं बढ़ाते? सरकार भी चाहती है कि प्रोडक्शन बढ़े। आप उनसे ओवरटाइम में काम क्यों लेना चाहते हैं? आप एंप्लॉयमेंट

[श्री अहमद पटेल]

बढ़ाइए, श्रमिकों की संख्या बढ़ाइए। ऑटोमेटिकली इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा, लेकिन यहां ऐसा नहीं हो रहा। मैं समझता हूँ कि आप इस अमेंडमेंट से श्रमिकों के हित का ध्यान नहीं रख रहे हैं, बल्कि जो पूंजीपति, उद्योगपति, कारखाने वाले हैं उनका ध्यान रख रहे हैं। मौजूदा कर्मचारियों का जो शोषण है, जो एक्सप्लॉयटेशन है, मेरे ख्याल से यह बंद होना चाहिए, जो बहुत ही जरूरी है। आप यह जो बिल लाए हैं, इससे उनका एक्सप्लॉयटेशन बढ़ेगा, उनका शोषण बढ़ेगा। इसलिए आप यह जो अमेंडमेंट लेकर आए हैं, इसके बारे में आपको फिर से सोचना चाहिए।

महोदय, अल्टीमेटली इसके दूरगामी क्या परिणाम होंगे, लॉंग टर्म इससे क्या नुकसान होंगे? श्रमिक आप तौर पर गरीब इंसान होता है। यह बिल पारित होने से उसकी टेंशन बढ़ेगी, उसका एक्सप्लॉयटेशन बढ़ेगा, उसका उत्पीड़न बढ़ेगा। श्रमिकों के पास न तो पैसा है, न लीगल सर्विसेज़ का साधन है, न कोई उनको मदद कर रहा है। अब अगर आप रिकोग्नाइज्ड यूनियन को ही खत्म कर देंगे, तो श्रमिकों के लिए कौन लड़ेगा? उनके पास कोई मदद ही नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन मदद करने वाली ही नहीं है, तो उनके सामने ऐसी जो चुनौती है, तकलीफ है, मुश्किलात हैं, उनका सामना वे कैसे कर पाएंगे? पिछले साठ सालों में कांग्रेस की सरकारों ने हमेशा कानून के जरिए या तो उनकी सुरक्षा करने का प्रयास किया है या उनको सुरक्षा प्रदान की है। इससे हमारे कुछ उद्योगपति भी नाराज हुए, लेकिन यूपीए की सरकार ने इसकी कभी चिंता नहीं की, बल्कि श्रमिकों को न्याय दिलाने की बात की है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इनके बारे में कहा था, जो मैं क्वोट करना चाहूंगा - "छोटे और सीमांत मजदूर, श्रमिक हमारी औद्योगिक व्यवस्था की रीढ़ हैं। बहुत बार ऐसा आभास होगा, जिसमें व्यापारी श्रमिकों को उनके अधिकारों से वंचित करके मुनाफा कमाना चाहेंगे, इसलिए एक कल्याणकारी राज्य के तौर पर हमें उस बरगद के पेड़ की तरह बनना चाहिए, जो सभी को सुरक्षा की गारंटी दे और उनके अधिकारों को कायम रखे?" हम बरगद का पेड़ तो नहीं बन रहे, लेकिन जो बरगद का पेड़ सालों से बना हुआ है, उसे हम उजाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल से हमें श्रमिकों की चिंता करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि श्रमिकों के बिना न तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, न ग्रोथ बढ़ेगी, आंकड़े हम चाहे कितने भी देते रहें।

उपसभापति महोदय, इसीलिए मैं अपने कुछ सुझाव आपके जरिए सदन के सामने रखना चाहूंगा। अगर आप इनको कंसीडर करेंगे, तो बहुत अच्छी बात होगी। रोजगार के अवसर का निर्माण आप इस तरह से करें, जिससे वास्तविक रोजगार उत्पन्न करने के लिए आर्थिक तरीकों को अपनाएं, न कि ओवरटाइम आप बढ़ाएं। जो भी इकोनॉमिक मेज़र्स लेने चाहिए, जो आर्थिक मेज़र्स लेने चाहिए, वे आप लें। कृत्रिम रोजगार उत्पन्न करने के लिए कानूनी तरीकों का उपयोग आप न करें। यह सब आर्टिफिशियल है। इस तरह से हम अपने श्रमिकों का, लेबरर्स का कल्याण नहीं कर पाएंगे। इससे उनको नुकसान होगा। हमें अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने की जरूरत है, उनके लिए कोई प्रयास ही नहीं है। न तो इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, न उस दिशा में कोई कोशिश हो रही है। इसके साथ-साथ यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे जो उद्योगपति हैं, जो पूंजीपति हैं, जो कारखाने चला रहे हैं, उनको लोन भी दें, उनकी जो तकलीफें हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, उनको हल भी करने की कोशिश करनी चाहिए। निवेश और इन्वेस्टमेंट की जो शर्तें हैं, उनको बेहतर बनाएं और व्यापार करने की प्रक्रिया को

सरल बनाएं। मैं यह बात इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा करेंगे तो इससे श्रमिकों को भी फायदा होगा। इससे उत्पादन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, लेकिन अमेंडमेंट करने से या ओवरटाइम बढ़ाने से प्रोडक्शन नहीं बढ़ने वाला है। यह श्रमिकों के अधिकार छीनने का बहाना भी नहीं बनना चाहिए। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि जनता ने आपको एक ऐतिहासिक आदेश दिया है, उसका उपयोग आप श्रमिकों की मदद करने के लिए करें। प्रधान मंत्री जी हर रोज बात कर रहे हैं कि प्रो-पुअर, प्रो-पुअर, गरीबों के लिए, गरीबों के लिए हम काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ ऐसे अमेंडमेंट आप ला रहे हैं, जिससे जो गरीब है, श्रमिक हैं, उनको नुकसान हो। उनको दबाने के लिए, उनको ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। जो कानून श्रमिकों की रक्षा की गारंटी देते हों, ऐसे कानून हमें बनाने चाहिए, न कि ऐसे कानून बनाएं, ताकि उनकी सुरक्षा ही खतरे में आ जाए और वे परेशान हों, उनका ऑर्गेनाइजेशन, संगठन ही खत्म हो जाए। मेरे ख्याल से ये जो सारी चीज़े हैं, उन पर सरकार को ध्यान देना होगा। कानून में ऐसे amendments करने से या ऐसे सुधार लाने से या हमारी राज्य सरकारों के जो अधिकार हैं, अगर हम उनको छीन लेते हैं, तो उससे श्रमिकों को कोई फायदा होने वाला नहीं है। अगर सही मायनों में श्रमिकों का फायदा करना है, तो जैसा मैंने शुरू में कहा, आप investment बढ़ाइए, जो हमारे उद्योगपति हैं, उनको आप ऐसी सहूलियतें या facilities दीजिए। इसके साथ-साथ आप कल्याणकारी काम करिए। जो organizations हैं, जो unions हैं, जो trade unions हैं, उनको आप कमजोर मत करिए, बल्कि उनको मजबूत बनाइए, ताकि वे श्रमिकों के हितों की रक्षा कर सकें। यह मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि इसके साथ-साथ जो बाकी पूंजीपति या उद्योगपति हैं, उनको भी नुकसान हो या वे कहीं तकलीफ में आ जाएँ, लेकिन आपको दोनों के बीच में balance करना होगा। अगर आप सिर्फ उद्योगपतियों या पूंजीपतियों की मदद करेंगे और जो हमारे श्रमिक हैं, अगर आप उनकी सुरक्षा नहीं करेंगे, तो मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में बहुत ही तकलीफ होने वाली है। जिस दिन हमारे श्रमिक परेशान होंगे, जब वे तकलीफों का सामना करेंगे, उनके परिवार तकलीफ में आ जाएँगे, तो आप उत्पादन नहीं बढ़ा पाएँगे, production नहीं बढ़ा पाएँगे। मैं समझता हूँ कि आप जो देश के अर्थतंत्र को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, उसको सशक्त करने की बात कर रहे हैं, उससे यह सशक्त या मजबूत नहीं होगा, बल्कि और कमजोर होगा। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं मंत्री जी से एक बार फिर से कहूँगा कि वे इन सब बातों के ऊपर ध्यान दें।

डा. सत्यनारायण जटिया (मध्य प्रदेश): माननीय उपसभापति जी, कारखाना (संशोधन) विधेयक, 2016 के द्वारा काम के घंटों के बारे में overtime को बढ़ाने के बारे में एक प्रावधान करने के लिए एक विधान बनाया गया है। इसमें चार बातें कही गई हैं। कारखाना (संशोधन) विधेयक, 1948 का जो 63वाँ भाग है, उसमें "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर "यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार" शब्द रखने के बारे में कहा गया है। ऐसा इसमें चार बार कहा गया है।

[**उपसभाध्यक्ष (श्री टी.के. रंगराजन**) *पीठासीन हुए*]

यह 1948 के मूल अधिनियम की धारा 63 और 64 में राज्य सरकारों के स्थान पर केन्द्र सरकार को स्थापित करने के बारे में और मूल अधिनियम की धारा 65 में भी केन्द्र सरकार को स्थान देने के लिए यह बात कही गई है कि केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से मुख्य निरीक्षक, आदेश द्वारा, लोक हित में एक तिमाही में अतिकाल यानी overtime काम करने के घंटों की कुल

[डा. सत्यनारायण जटिया]

4.00 P.M.

संख्या को 125 तक बढ़ा सकेगा। अंत में धारा 115 में भी राज्य सरकार के साथ-साथ इसमें केन्द्रीय सरकार के बारे में यही कहा गया है। जब इसका notification किया जाएगा, तो इसको लागू करने की बात होगी।

महोदय, श्रम और पूँजी विकास की संभावनाओं के दो प्रमुख आधार हैं। श्रम के बिना पूँजी का निर्माण नहीं हो सकता है, किन्तु श्रम को मान मिले, ऐसा प्रायः देखने में नहीं आता है। आज श्रमिक क्षेत्र में बेचैनी है। "श्रम का मान, माँग रहा है हिन्दुस्तान"। इसलिए श्रम कानूनों के बारे में जो हमारे बाकी के मित्र कहते हैं कि मोदी जी की सरकार ने कुछ नहीं किया है, यह कहना मुनासिब नहीं होगा। सरकार ने समय-समय पर इसमें सुधार करने का काम किया है। बोनस संदाय अधिनियम, 1965 को संशोधित करके बोनस की पात्रता तथा बोनस की गणना के प्रयोजनार्थ मजदूरी की अधिकतम सीमा को बढ़ा कर 21 हजार रुपए और 7 हजार रुपए प्रतिमाह करने का काम हुआ है। बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 में संशोधन के माध्यम से 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सभी व्यवसाय एवं प्रक्रियाओं में नियोजन पर निषेध लगाया गया है। वेतन सीमा को 15 हजार रुपए प्रतिमाह से बढ़ा कर 21 हजार रुपए प्रतिमाह करके कर्मचारी राज्य बीमा यानी ESI की जो सारी सुविधाएँ हैं, उस योजना का लाभ देने का काम किया गया है। मजूदूरी का भुगतान बैंक खातों के माध्यम से देने का जो काम किया गया है, यह एक बहुत बड़ा काम हुआ है। पहले मज़दूरों को वेतन व मजदूरी का जो भुगतान किया जाता था, वह बराबर नहीं होता था, किन्तु अब मजदूरी का भुगतान बैंक खातों के माध्यम से करने के लिए मज़दूरी संदाय अधिनियम, 1936 के अंतर्गत सामर्थ्यकारी उपबंध किए गए हैं। कारखानों जैसी संस्थापनाओं के लिए विशिष्ट श्रम पहचान संख्या (एलआईएन) आबंटित करने के लिए एकीकृत श्रम सुविधा पोर्टल प्रारम्भ किया गया, स्व-प्रमाणिंत एव सरलीकृत ऑनलाइन वार्षिक विवरणी दायर करने की सुविधा दी गई तथा कंप्यूटरीकृत पद्धति के माध्यम से पारदर्शी श्रम निरीक्षण योजना शुरू की गई।

एक Universal Account Number या सार्वभौमिक खाता संख्या के माध्यम से कर्मचारी भविष्य निधि के खातों को जारी रखने का काम किया गया है। इस प्रकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में केन्द्रीय सरकार ने श्रमिकों के कल्याण के लिए अनेक प्रकार के उपाय किए हैं। मुझे श्रमिकों के बीच में काम करते हुए प्रायः 50 साल से भी ज्यादा समय हो गया है। जब पहली ट्रेड यूनियन बनाने का काम हुआ था, तब सन् 1966-67 में मैंने बिजली यूनियन का निर्माण किया था और तब से मैं श्रमिकों के बीच में काम करता आ रहा हूं। हमने हाइडल प्रोजेक्ट में काम शुरू किया था, उसके बाद अनेक प्रकार के उद्योगों में, चाहे वे organized sector के उद्योग हों या चाहे unorganized sector के, मुझे मज़दूरों के बीच में काम करने का मौका मिला है। कपड़ा मिल के मज़दूर हों, BHEL का कारखाना हो, रेलवे हो, बैंक हों या बीमा हो, इन सारी जगहों पर मज़दूरों के साथ मिलकर, उनकी समस्याओं को समझने का और निकटता से उनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला है। संयोग से जब 1996 में मैं श्रम मंत्री हो गया, तब उन सारे कामों को करने का मौका मिला, जिनमें मेरा अनुभव था। सभी ट्रेड यूनियन ऑर्गनाइज़ेशंस के साथ बैठ करके, उनकी बातों को लेकर हम आईएलओ में एक कॉंसेप्ट के साथ जाते थे।

आप पूंजी के वैश्वीकरण की बड़ी चर्चा होती है, इसकी बड़ी धूम मची हुई है, लेकिन उस समय हमने कौशल वैश्वीकरण की बात की थी, श्रमिकों के ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात की थी। पूंजी का संचरण जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है, तो किसी को पता भी नहीं लगता है, किन्तु कौशल वैश्वीकरण की जो बात थी, उसमें हमने यह अवधारणा रखने का काम किया था कि विदेशों में, जहां हमारा श्रमिक जाता है, चाहे वह किसी भी काम से जुड़ा हुआ हो, तब वह हमारे यहां के संस्कारों को लेकर जाता है। वह मज़दूर सारी दुनिया में विश्व बंधुत्व का एक संदेश फैलाने का काम कर सकता है। जो कौशल से तज्ञ व्यक्ति है, विश्व बंधुत्व के संदेश को फैलाने का उसके पास पूरा अवसर होता है, परन्तु आज बदलते समय के साथ-साथ सारी दुनिया में इस तरह का वातावरण बना हुआ है कि चारों ओर पूंजी की महत्ता और प्रभुत्व दिखाई देता हे, लेकिन हमें इसकी आधारभूत मान्यता को याद करना चाहिए।

"श्रमं विना न किमपि साध्यम्", अर्थात् मेहनत के बिना कुछ नहीं होता है। मेहनत करने वाले आदमी का सम्मान होना चाहिए। भारत का मज़दूर और भारत का किसान, यही दोनों हिन्दुस्तान का निर्माण करते हैं। कहा भी गया है-

"कौन बनाता हिन्दुस्तान,
भारत का मज़दूर किसान।"

इस बात को ध्यान में रख करके यदि हम देश के मज़दूरों के बारे में, श्रमिकों के बारे में और किसानों के बारे में चिंता करने का काम करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा देश सुखी और समृद्ध हो सकेगा। हमारी जो मौलिक मान्यताएं हैं, उनमें नयी मान्यताओं को जोड़ते हुए, आज जो हर चीज़ का आधुनिकीकरण हो रहा है, digitalization हो रहा है, हमें इन सारी बातों का उसमें भी समावेश करना चाहिए। आज सभी कानूनों को बदलने की आवश्यकता है। हमारे कानून बहुत पुराने हैं, आज़ादी से भी पहले के बने हुए हैं, लेकिन उस वक्त जो परिस्थितियां थीं, वे आज नहीं हैं। एक समय था, जब कारखाने स्टीम से चला करते थे, उसके बाद नई-नई तकनीकें आईं, विद्युतीकरण हुआ, लेकिन आज जो समय आ गया है, उसमें ये सारी बातें पूरी तरह से बदल चुकी हैं। हमने देखा है, कपड़ा या टेक्सटाइल के क्षेत्र में तो सारा काम एकदम ही अलग प्रकार का हो गया है। पहले हर शहर में बड़ी-बड़ी कपड़ा मिलें हुआ करती थीं, जिनमें हजारों लोग रोजगार प्राप्त करते थे। ऐसे हजारों, लाखों लोग रहे होंगे, जिनका पुनर्वास करने की चुनौती देश के सामने थी। परिस्थितियों के बदलाव के कारण, टेक्नोलॉजी के बदलाव के कारण, ऐसे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आज भी वे लोग असहाय की स्थिति में हैं, उनके पुनर्वास की आवश्यकता है। आज भी लाखों लोग ऐसे हैं, जिनके पास रोज़गार नहीं है। अब जो दूसरी पीढ़ी आगे आ गई है, उनके बच्चों के लिए भी काम चाहिए। पहले यह होता था कि मज़दूर का बेटा कारखाने मे जा करके अपने पिताजी के साथ काम करना शुरू कर देता था और अपने परम्परागत रोज़गार को अपना लेता था। महोदय, इस प्रकार से जो शहरों के रोजगार थे, जो मिलों और कारखानों में हुआ करते थे, जो रोजगार परम्परागत रूप से गांवों में हुआ करते थे, वे सारे रोजगार एक तरह से खत्म हो गए। अब गांवों में काम करने के लिए जो हमारे बढ़ई, लोहार या चर्मकार आदि बाकी के सारे लोग थे, जो skilled रोजगार का काम करने वाले थे, जो कौशल का काम करने वाले थे, वे भी अब वहां नहीं हैं। इसलिए आज यह एक बड़ी चुनौती है।

[डा. सत्यनारायण जटिया]

महोदय, हम किसी को दोष देने का काम न करें। आपने नहीं किया, उन्होंने नहीं किया, किस ने किया या परिस्थितियों ने यह नहीं होने दिया। इन परिस्थितियों में जो कुछ भी अब हो रहा है, उसमें बदलाव करने के लिए हमें क्या उपाय करने हैं, ऐसा हमें सम्यक रूप से सोचने की आवश्यकता है। ...(**समय की घंटी**)... मैं, तो पार्टी का पहला ही वक्ता हूं, इसलिए मुझे बोलने के लिए पर्याप्त समय होगा, ऐसा मैं मानता हूं। ...(**व्यवधान**)...

THE LEADER OF THE OPPOSITION (SHRI GHULAM NABI AZAD): Sir, give hime some more time. He is a very good speaker. ...*(Interruptions)*...

डा. सत्यनारायण जटियाः महोदय, मैं इन सारी बातों में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि हमारे देश के लगभग 94 प्रतिशत लोग आज भी असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले हैं और उनके पास गुज़ारा करने के लिए कोई और साधन नहीं है। हम हर वर्ष नारों के साथ बातें करते रहते हैं, लेकिन नारों को सुनकर किसी का काम नहीं चलता है, फिर यह चाहे उस समय की बात हो या आज की हो। इसलिए नारों को साकार करने के लिए और सबका विकास करने के लिए, आज आवश्यकता है कि सबको साथ लेकर काम करें। इसी पहल को लेकर काम करने की हमने शुरूआत की है।

महोदय, हमारे यहां वरिष्ठ लोग बैठे हैं। मजदूर क्षेत्र में काम करने वाले और सभी ट्रेड यूनियनों में काम करने वाले - INTUC, AITUC, ITUC, CII के लोग यहां उपस्थित हैं। भारतीय मजदूर संघ, जिसका कि मैं कार्यकर्ता रहा हूं और मैंने उस क्षेत्र में बहुत काम किया है, मैंने बहुत संघर्ष और जद्दोजहद की है। मेरे ऊपर जितना लाठीचार्ज हुआ है, firing हुई है और मेरा कितनी ही बार जेलों में जाना हुआ है, ऐसा एक-दो बार नहीं, बल्कि सैंकड़ों बार हुआ है। ऐसे संघर्षों में से निकलते हुए एक साधारण सा व्यक्ति, एक साधारण से मजदूर का बेटा, आज यहां सदन में आकर बात कर रहा है। यह मेरे भी फख्र की बात है और निश्चित रूप से हम जिस प्रकार से इस काम की समझ रखते हैं, काम की उस समझ को लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। इसलिए हमारा कहना है कि जो मजदूर काम करने वाला है, जो श्रमिक काम करने वाला है, जो कर्मकार काम करने वाला है, जो दिखाई नहीं देता है, जो सड़कों पर काम करता है, जो गड्ढे खोदता है, जो नालियां साफ करता है और जिन्हें contract labour कह कर, एक-एक और दो-दो घंटे का काम देकर, उनका रोजगार खत्म करने की बात हो रही है, उसे हमें ठीक करना है।

महोदय, आज किसी भी सफाई कर्मचारी को एक या दो घंटे का काम देकर और उसे 2,000 रुपए या 5,000 रुपए देकर गुजारा करने के लिए कहा जाता है, यह ठीक नहीं है। ये सारी विसंगतियां हैं और इन विसंगतियों को सुसंगत कौन करेगा? इन्होंने नहीं किया, यह ठीक नहीं है। उन्होंने नहीं किया, यह भी ठीक नहीं है, तो फिर ठीक क्या है? अब जो ठीक है, उसे करने के लिए हमें और उपाय करने की जरूरत है।

महोदय, Second Labour Commission, श्री रवीन्द्र वर्मा जी की अध्यक्षता में बनाया गया था, तब मैं श्रम मंत्री हुआ करता था। हमने उस समय उससे कुछ निष्कर्ष निकाले थे। उस समय उसके जो निष्कर्ष थे, मैं उनमें से कुछ बातों के बारे में यहां बताना चाहता हूं। उसमें कहा गया था कि all labour

laws should give a well defined social security. अभी हमारे श्री अहमद पटेल जी ने भी कहा कि social security होनी चाहिए। Wages to include basic, D.A., and other perks, and even bonus should be under remuneration. उसके वेतन में इन सारी बातों का समावेश होना चाहिए। A contract labour cannot be engaged in production/service activities. Contract labour should be given remuneration at a regular rate of regular grade. No worker shall be kept continuously as a casual worker for more than three years against a permanent job. अब इन सारी बातों में किस प्रकार से चतुराईपूर्वक इन कामों को अंजाम दिया जाता है, यह हम देखते आ रहे हैं। हम जानकर भी इसे बदल नहीं पा रहे हैं। यह कैसी विवशता और परवशता है? इसलिए इन सारी परिस्थितियों में जो contract labour काम करता है, वह, वही काम करता है, जो एक regular कर्मचारी काम करता है, किन्तु जब उसे wages दिए जाने की बात आती है, तो उसे वे wages नहीं मिलते, जो regular worker को मिलते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि एक जैसा काम है, तो उन्हें एक जैसा वेतन मिलना भी चाहिए, यानी same work के लिए same wage मिलना चाहिए। ये सब तों हमने Second Labour Commission में भी की थीं। Every employee should be paid one month's pay as bonus. यह भी कहा गया था, लेकिन वह bonus हर एक कर्मचारी और हर एक मजदूर को तो नहीं मिलता। Every worker should have a right to enjoy minimum wage. अब यह minimum wage बहुत मुश्किल बात है। इसे define करने के लिए अलग-अलग कारक हैं। यह जो न्यूनतम वेतन है, उसमें गुजारा कैसे होगा? उसके जीने के लिए, उसके परिवार को चलाने के लिए, उसके परिवार के साथ उसके मां-बाप के लिए, उनके बच्चों की शिक्षा के लिए और इन सारी बातों को चलाते हुए, उसके रहन-सहन के लिए, तो रोटी, कपड़ा और मकान उसे कैसे मिलेगा? कैसे उसका काम बनेगा, इन सारी चीज़ों को देखने के लिए क्या कोई उपाय है? इसलिए जैसा मैंने कहा है कि देश की आधी से ज्यादा आबादी मोटे तौर पर आज भी वंचित, गरीब और ऐसे लोगों की है, जो निश्चित रूप से मदद की दरकार रखते हैं। यह बात अलग है कि केन्द्र की सरकार ने गरीबों की सहायता करने के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं चलाई हैं और उन योजनाओं के माध्यम से उनको सहायता मिल भी रही है, परन्तु यह सहायता का काम है, यह उनके कल्याण का काम है। किन्तु वे खुद कमा कर सम्मानजनक रूप से रह सकें, वे प्रतिष्ठापूर्वक तरीके से अपना रोजगार प्राप्त कर सकें और उस रोजगार से अपना गुजारा कर सकें, हमें इस प्रकार के और अवसर पैदा करने की जरूरत है। इस कानून में कहा गया है कि काम के घंटे बढ़ाने वाली बात है, तो अब हम काम के घंटे क्यों बढ़ा रहे हैं, क्योंकि काम की जरूरत है। हमने यह नहीं कहा है कि ये सारे जो काम के घंटे हैं, वे 125 घंटों तक हो सकते हैं, परन्तु अगर ये 125 घंटे प्रति तिमाही बढ़ाये जायेंगे, quarterly 125 घंटे बढ़ाये जायेंगे, तो फिर इसमें working conditions क्या होंगी, उसको हम क्या सहायता देने वाले हैं, उसके wages में और उसको जो overtime मिलता है, उसमें क्या हम बदलाव करने वाले हैं, क्या हम उसे बढ़ा कर देने वाले हैं? ये सारे प्रश्न सामने खड़े होते हैं। इन सारे प्रश्नों का उत्तर निश्चित रूप से इन सारे कामों के साथ जुड़ कर आना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो सारे कानून हैं, ये पुराने हो गये हैं। इसको करने के लिए एक नया कमीशन बनाकर, जल्दी से, समयबद्ध रूप से इन सब पर काम करने की जरूरत है और यह अनुकूल समय है। सरकार अभी चलने वाली है, हो सकता है कि यह आगे भी चलेगी। ...(**समय की घंटी**)... किन्तु कुल मिलाकर मैं चाहूँगा कि एक कमीशन बनाकर, labour laws को पूरी तरह से नयी definition दे कर

[डा. सत्यनारायण जटिया]

और हमारी आवश्यकताओं के अनुसार नये कानून बनाकर, हम एक नये श्रम जगत का निर्माण करने का काम करें, जिसमें श्रम को प्रतिष्ठा मिले, श्रम को सम्मान मिले। इसलिए मैं चाहूंगा कि एक नयी शुरुआत करने का एक मौका आ गया है। सरकार यह जरूर करे, ऐसी दरकार करते हुए, आप सबसे गुजारिश करूँगा कि इन सभी कामों को करने के लिए आपका सहयोग मिले।

"अंदाजे बयाँ अगरचे, बहुत खूब नहीं है,
शायद कि उतर जाए, दिल में मेरी बात।"

हिन्दुस्तान जिन्दाबाद।

श्री रवि प्रकाश वर्मा (उत्तर प्रदेश): सर, आपने इस महत्वपूर्ण कारखाना (संशोधन) विधेयक पर मुझे बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।

सर, यह जो संशोधन सरकार लायी है, इससे इनका चेहरा, इनकी मंशा और इनका आचरण भी झलकने लगा है, दिखाई देने लगा है। मैं अभी जटिया जी की बात सुन रहा था। उनके दिल में मजदूरों के लिए दर्द है, लेकिन बहुत आराम-आराम से है। वे सरकार में हैं, इसलिए मजबूरी है। वे खुल कर कह भी नहीं सकते। लेकिन यह जो श्रम सुधारों की परम्परा चालू हुई थी, so-called labour reforms, देखने में और सुनने में तो बड़ी अच्छी चीज़ लग रही है, परन्तु दरअसल यह श्रमिक को असुरक्षित करने का पूरा प्रोसेस है। पूरी दुनिया में जो बड़े सरमायेदार हैं, उनको यह समझ में आ गया है। क्या समझ में आ गया है? पक्की नौकरी कच्चा काम, कच्ची नौकरी पक्का काम। सरकार को भी समझ में आ गया है। वह चाहती है कि अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, हिन्दुस्तान की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, कर्मचारियों को जितना असुरक्षित रखेंगे, शायद वह ज्यादा काम आयेगा। चूँकि यह चीज़ अब रिफ्लेक्ट होकर दिखाई पड़ने लगी है। हम यह जानते हैं कि यह आपकी भावना नहीं है। यह किसी और की भावना है। दुनिया के बड़े सरमायेदार हैं। एक नया सिद्धांत Ease of Doing Business सामने आया। यह इसलिए सामने आया कि हिन्दुस्तान बहुत बड़ी विदेशी ताकतों का कर्जदार बन गया है और बड़ा कर्जदार बन गया है। सर, हमारे यहाँ लोग कहते थे कि जो कर्जदार होता है, वह कुछ सोच-समझ नहीं सकता। उसको तो अनुपालन ही करना होता है। जैसे-जैसे निर्देश मिलते हैं, उन बड़े पूँजीपतियों की तरफ से, बड़ी धूम-धाम के साथ, नयी-नयी terminology के साथ वे सिद्धांत यहाँ पर लाये जाते हैं। जो सिस्टम है, जो कि लाचारों, कमज़ोरों, मजदूरों, बेसहारा लोगों की मदद के लिए बनाया गया है, उस सिस्टम में तरमीम करके मजदूरों को और अधिक असुरक्षित करने का पूरा प्रयास हो रहा है।

हमने सबसे दुखद क्रम यह देखा, जो अभी कुछ समय पहले यहाँ पर चाइल्ड लेबर में अमेंडमेंट्स हुए। हिन्दुस्तान की सरकार पहली बार, जिस संसद के अन्दर यह कहा गया था कि हिन्दुस्तान के बच्चे हमारे राष्ट्रीय संसाधन हैं, 1975 में, उसी संसद के अन्दर बच्चों को दो categories में divide कर दिया गया। एक category को बच्चा मान लिया गया और दूसरी category को किशोर मान लिया गया और वे family enterprises में काम की शुरुआत कर सकेंगे। उनको family enterprises में काम करने के लिए आगे बढ़ा दिया गया और आज यह इसके अंदर reflect हो रहा है। इस अमेंडमेंट बिल में आज यह reflect हो रहा है। पहले बच्चों और महिलाओं के लिए कठिन कार्य

करने की मनाही थी, लेकिन अभी केवल गर्भवती महिलाएं और दिव्यांगों को exemption मिला है, बाकी सबको काम करने की छूट दी गई है, यह बड़ी मजेदार बात है। हिन्दुस्तान कहां जा रहा है, यह दिखाई पड़ रहा है। अभी भी संविधान नहीं बदला है, अभी भी यह समाजवादी लोकतंत्र है, यह पूंजीवादी लोकतंत्र नहीं बना है, लेकिन नीतियां बदल-बदल कर... मुझे भी इस बात पर बड़ा रंज हो रहा था कि प्लानिंग कमिशन खत्म करके नीति आयोग बना दिया गया, जो हिन्दुस्तान को डायवर्ट कर रहा है एक दिशा के अंदर। जो लोग हिन्दुस्तान के ऊपर नालिश करते थे, आज वे नीति आयोग को चला रहे हैं और वे रास्ता बना रहे हैं कि कैसे हिन्दुस्तान के लोगों को निचोड़ करके, उनका खून चूस करके अपना मुनाफा बढ़ाया जाए। जो मुनाफे की संस्कृति है, वह समाज को लेकर चलने की संस्कृति नहीं है, वह हिन्दुस्तान की संस्कृति नहीं है और मेरे भाइयों, हिन्दू संस्कृति भी नहीं है। केवल मुनाफा, केवल और केवल मुनाफा और आदमी से कोई मतलब नहीं, इसमें जो संशोधन हो रहे हैं, उसने यह दिखाई पड़ने लगा है।

सर, हम लोग यह महसूस कर रहे थे कि समाज में कुछ असमानता कम होगी, लेकिन कुछ समय पहले हिन्दुस्तान में जो demoneitisation के नाम से एक बहुत बड़ा आर्थिक भूकंप लाया गया, उससे पच्चीसों लाख करोड़ रुपए का बिजनेस लॉस हुआ है, कारखाने बंद हुए, मजदूर खाली है। पूरा हिन्दुस्तान जानता है कि कितने लोग काम कर रहे थे, वे वापस लौट गए। सवाल यह है कि हम फिर उनको ऐसे माहौल में डाल कर काम देना चाहते हैं, उनकी लाचारी का फायदा उठाना चाहते हैं। अब वे लाचार हो चुके हैं, तो उनको जो मर्यादाएं मिली हुई थीं, उनको जो प्रोटेक्शन मिले हुए थे, वे उनसे compromise करे, वरना उन्हें काम नहीं मिलेगा। यह बड़ी मजेदार बात है कि इसमें overtime बढ़ाया गया, लेकिन आप आम आदमी से कितना काम लेंगे? वह आदमी, मशीन नहीं है, घर में उसके बच्चे भी हैं। उसको बच्चों को भी समय देना जरूरी है, जिनकी देखभाल हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। कायदे से हिन्दुस्तान के अंदर मजदूरी करने वालों को भी एक अच्छी जिन्दगी जीने का हक मिलना चाहिए था। उनके बच्चे पढ़ पाते, वे एक अच्छी जिन्दगी जी पाते और मजदूरी करके भी एक छोटा-सा मकान बना लेने, बच्चे को पढ़ा कर आगे बढ़ा लेते, उनको यह हक मिल जाना चाहिए था। क्या हम उनको यह हक दे पाए हैं? मुझे लगता है कि इस पर सोचने की जरूरत पड़ेगी।

आज भी आप लोग जो परिस्थितियां बना रहे हैं, इसमें तो आदमी अपने बच्चों को समय भी नहीं दे पाएगा। बच्चे कहां जी रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, कहां पढ़ रहे हैं, क्या बनना चाहते हैं, कहां जाएंगे, यह देखने का उनको समय ही नहीं मिलेगा। मुझे इसमें पूरी श्रमिक मंडली को एक vicious cycle में डालने का process दिखाई पड़ रहा है। जिस तरीके से कंपनी मालिकान, फैक्ट्री मालिकान को exemptions दिए जा रहे हैं, वे तो इनका खून चूसना चालू कर देंगे।

सर, एक और बड़ी मज़ेदार बात है कि हिन्दुस्तान में एक तो काम शुरू करना बहुत मुश्किल है और अगर कोई आदमी यह सोचता है कि मैं कोई कारोबार शुरू करूं, तो इतने सारे इंस्पेक्टर्स, इतने सारे विभाग हैं कि कारखाना खड़ा करने में ही आदमी का आधा खून चूस लिया जाता है। यह मैं entrepreneur की बात कर रहा हूँ, अभी लेबर की बात नहीं कर रहा हूँ। इतने इंस्पेक्टर्स और इतने मिलने वाले हैं कि जो व्यापारी कारोबार करता है, आज उसको यह लगता है कि चवन्नी का साझेदार हमारा सरकारी कर्मचारी है, इतना इसको देना ही पड़ेगा, वरना वह चलने नहीं देगा। उसके बाद वह

[श्री रवि प्रकाश वर्मा]

बैंक से पैसा लेता है, तो वहां भी उसको हिसाब-किताब करना पड़ता है। उसके बाद उसको सहारा देने के लिए मजदूरों को चूसने का एक पूरा process उसको दे दिया जाता है। ...(**समय की घंटी**)... सर, इस तरीके से ये लोग आगे बढ़ रहे हैं।

सर, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। आपने स्टेट गवर्नमेंट्स को छूट दी, अब वे भी exemptions दे पाएंगे। सवाल इस बात की है कि सरकारी मशीनरी मजदूरों के हितों की रक्षा करने के लिए लगाई गई है और अब आप मजदूरों के हितों से compromise करने का उनको रास्ता बता दे रहे हैं, बलिहारी है आपकी। मुझे लगता है कि आदमी इससे बढ़िया तो कुछ सोच भी नहीं सकता है। जो कुछ आप कर रहे हैं, उसके बड़े दूरगामी परिणाम सामने आएंगे। आज industrial sector में स्थिति यह है कि वहां 83 प्रतिशत unorganized labour है और केवल 17 प्रतिशत organized labour है। इसमें unorganized labour का तो भगवान ही मालिक है, ईश्वर ही मालिक है और जो organized sector में हैं, उनकी चमड़ी उतारने का, उनका खून चूसने का पूरा इंतजाम करके, आप उन्हें उद्योगपतियों को मुहैया करा रहे हैं। आज computer का ज़माना है। जो turnovers पहले 100-200 लोगों में हुआ करते थे, आज वही 4 लोगों में होते हैं। जब 30 से 40 लोग मिलकर turnover या production बढ़ाना चाहते हैं, तो कारोबार का level आप समझ सकते हैं। कर्मचारियों के हितों का असुरक्षित रखकर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो कहीं से भी न्यायसंगत नहीं है। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि थोड़ा दिल भी रखिए। ये भी इंसान हैं। इन्हें इंसानों की तरह जीने का मौका मिलना चाहिए, हमारी आपसे यही अपील है, धन्यवाद।

SHRI A. VIJAYAKUMAR (Tamil Nadu): Sir, I express my gratitude to the hon. former Chief Minister of Tamil Nadu, Puratchi Thalaivi Amma, for my being here in this august House, and I rise to speak on The Factories (Amendment) Bill, 2016.

Sir, the Factories (Amendment) Bill, 2016 was passed by Lok Sabha in August 2016. A comprehensive Factories (Amendment) Bill, 2014 was initially introduced in Lok Sabha in 2014 and later referred to a Parliamentary Standing Committee. The Standing Committee in its report raised serious objections to many of the proposed amendments while welcoming some of the amendments. Since the 2014 Bill saw no movement after that, the Government decided to come out with the present Bill amending just two Sections of the Factories Act—Sections 64 and 65.

Welfare of labour including conditions of work is a subject of Concurrent List of our Constitution, which means that both Centre and States can make laws on this subject. The Factories Act, 1948 itself is a Central piece of legislation. But, Sections 64 and 65 provided certain rule-making powers exclusively to States. Now this is being amended to empower the Central Government also to make rules on those subjects.

Such overlapping of powers can result in confrontations and could be against the principle of 'cooperative federalism'. Through this Amendment, the Government

could impose reforms on States as well by making rules, if the State is not taking the initiative.

Section 64 provided that a State can prescribe rules to set the overtime limit but such overtime should not exceed 50 hours in a quarter, a period of three months. This is being amended to say that now the Centre or the State can prescribe rules governing overtime limits but the overtime limit cannot exceed 100 hours in a quarter. The limit has been expanded from 50 to 100 hours. Further, any rule made under this section was to be in operation for 5 years only, but now the rules made under this section can be in operation for an indefinite period of time.

Section 65 earlier provided that a State can relax certain conditions like period of work under some circumstances and to "enable the factory or factories to deal with an exceptional press of work", it can prescribe overtime limits which must not exceed 75 hours in a quarter. Now, the Centre as well as States can make rules in this regard and can prescribe an overtime limit which cannot exceed 115 hours. The limit has been expanded from 75 hours to 115 hours.

The Bill further adds a proviso enabling the Central or the State Government and even the Chief Inspector, with the prior approval of the State Government, to increase the number of overtime hours to 125 in a quarter in "public interest".

The Parliamentary Standing Committee reviewing the 2014 Bill had taken serious objection to the amendments to Section 64 and 65 and had observed that such a move is likely to negatively affect "employment generation". The Committee recommended that rather than increasing overtime limits across all factories, those industries and seasonal factories can be identified where overtime is inevitable and rules be made separately for them. It is not clear what exceptional pressure of work exists or what 'public interest' will be served or even how employment generation will be enhanced by increasing the overtime limits. Should powers be given to both Central and State Governments to make rules on the same subject, considering that it can lead to confrontation? Do the present circumstances require increasing the limit of overtime for workers across all industries? Is such a change in line with the stated objective of enhancing employment opportunities, as mentioned in the Bill itself? What public interest could be served by increasing the overtime limits? While piloting the Bill, The hon. Minister for Labour, Mr. Bandaru Dattatreya had said that the changes in the law would enable workers to work more and earn more contending that the Bill will safeguard workers' interests. The total number of work hours in a day will not exceed 10 and total hours of work in a week after including overtime should not exceed 60. Overtime is only an opportunity. The

[Shri A. VijayaKumar]

proposed amendment is in conflict with the ILO norms and all provisions relating to daily or weekly hours. Total number of overtime shall not exceed 100 hours in a quarter. The current rules provide for overtime of 50 hours in a quarter, while the ILO provides for upper limit of 144 hours. The hon. Minister has said that the Government is going with an innovative method in creating employment opportunities and large number of women workers will also get additional work. The proposal to increase overtime hours is not at all mandatory. It is up to the workers to decide. It is not compulsory upon him or her. It is an incentive to get double wages. Among other changes, the Bill also allows overtime of up to 125 hours per quarter in public interest and empowers Central and State Governments to exempt rules with regard to overtime working hours. ...*(Time-bell rings)*... There shall be no compromise on the safety and working condition of workers, and the Bill should facilitate increase in employment generation in the manufacturing sector. The Bill should not be encroaching upon the rights of the States and against the federal structure of the country. The Government has proposed the amendments in the Bill based on the changes in manufacturing practices and technologies, ratification of ILO conventions, judicial decisions, recommendations of various Committees and decisions taken in the conferences of Chief Inspectors of Factories.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T.K. RANGARAJAN): Please conclude.

SHRI A. VIJAYAKUMAR: The Bill amends and specifies the definitions of a factory, hazardous process, manufacturing process and also hazardous substance and disability. According to the present Bill, the State Government's power to make rules will be restricted to matters where the Central Government does not have such powers and the Central Government may frame rules in consultation with State Governments to bring uniformity in the areas of occupational safety, health or any other matter. ...*(Time-bell rings)*... The Bill seeks to permit the Central or State Government to prescribe the authorized officers and the amount, for compounding of the certain offences before commencement of the prosecution. Thank you.

SHRI AHAMED HASSAN (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, Sir, I thank you for giving me the opportunity to say a few words on this Bill. Sir, in the 19th century, when organized labour first compelled factory owners to limit daily work time to ten and then to eight hours, management was surprised to discover that output actually increased and that costly mistakes and accidents decreased. This experiment was later repeated over a century later by Harvard Business Review, it still held true. There have been similar studies done across the globe which have found out that working for more

than 10-12 hours actually reduces productivity and output. Sir, this Bill seeks to increase the overtime limit of factory workers from 50 hours to 100 hours in a quarter. The Bill suggests increase of overtime working hours for factories with 'exceptional' workload from 75 hours to 115 hours in a quarter. And, the Centre or State, or Chief Inspector, with the prior approval of the State Government, may increase this overtime limit to 125 hours in a quarter in 'public interest.'

However, there are certain basic problems with the provisions of the Bill. Why has the hon. Minister brought this Bill in such haste? The Factories (Amendment) Bill, 2014, is already under consideration. The Standing Committee had submitted its Report. What is the rationale behind trying to amend only Sections 64 and 65 as a fresh Bill in such a hasty manner?

Now, I come to overtime hours. Sir, 'public interest' has not been defined in the Bill. This could lead to arbitrary decisions on increasing overtime hours. The increase in overtime hours will also dry down fresh recruitment. Stakeholders have not been taken into confidence before introducing this Bill. Not a single trade union of West Bengal is in favour of increasing overtime hours in this way. It is true that many countries abroad have extended overtime hours and the ILO has also suggested increasing overtime hours. But, we must look at the reality. Working conditions in Indian factories are not at par with their Western counterparts. The ILO's recommendation is neither mandatory nor binding. First and foremost, we have to keep health and safety issues of our workers in mind.

Sir, this Bill is a blow to federalism. The 1948 Act vested the power of framing rules and implementation with the State Government. But, this Bill seeks to change that, and rests decision-making powers with the Central Government or, as the case may be, the State Government. The phrase in the Bill 'as the case may be' is not clear and has not been defined. This could lead the Centre taking unilateral decisions without consulting the States. This is an attempt to interfere with the federal structure and diluting the power of States.

There is no doubt that this Bill is anti-worker. The Statement of Objectives and Reasons of the Bill states that the 'need for increasing the total number of hours of work on overtime in a quarter is based on the demand from industries.' Thus, it is clear, the Government is overlooking the basic provision relating to health of workers and working towards the benefit of industrialists who would gain from this provision. This is an anti-labour and anti-worker Bill.

Sir, it must be noted that the Government is also planning to introduce the Small

[Shri Ahamed Hassan]

Factories Bill where units employing less than 40 workers will be exempted from ESI and PF requirements. This is akin to taking away their only means of social security.

There are roughly 100 million workers in India in the manufacturing sector alone. Squeezing the already marginalized workers make little sense. We must also look at the massive number of people employed in the unorganized sector and think of bringing in a comprehensive legal framework to safeguard their rights and interests, instead of trying to pass Bills in a piecemeal manner. Thank you.

SHRI TAPAN KUMAR SEN (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, Sir, at the outset, I plead your indulgence — rather, I demand — for appropriate time to place issues before the House.

I believe, among my colleagues here, I have been working on the labour front for the last fifty years. I started as a worker in an industry. So, I know the ins and outs of how a production system works, how a factory works and how workers are being treated. I rise to oppose this Bill, which is presently under consideration. I oppose because the proposed amendment enhances permissibility limit of overtime hours from existing 50 hours per quarter to finally 125 hours per quarter. This extra earning, after eight hours of hard work would prove to be injurious to the health of workers. And, in most of the places, practically it is not eight hours, but much more. It is not at all in the interest of the workers. It is not only against the interests of those who have jobs, but also against the several thousands of unemployed youth who are aspiring for job. By every hour of expanded overtime permissibility, you are depriving a big chunk of unemployed workforce, aspiring to have jobs.

Sir, I also oppose this Bill owing to — forgive me for using the word 'bungling' — a kind of bungling that has been indulged in over the amendment of this Factories Act. The present Government had already introduced a Bill, the Factories (Amendment) Bill, 2014. I can mention only the substantive changes in that Bill. Number one, enhancing the threshold level of employment in order to push out more than 70 per cent factory workforce out of the purview and coverage of the Act. Number two, increasing the permissible limit of overtime, as is being dealt with in the present Bill. Number three, increasing the spread-over period. After eight hours' work, earlier, the spread-over period was 10.5 hours. But, now, it has been 12 hours. For doing eight hours' work, a worker has to be retained in the workplace for up to twelve hours. These are the three substantive changes, which had been aimed by the Factories (Amendment) Bill, 2014. The Standing Committee on Labour took up that issue. They scrutinized the Bill. And, finally, unanimously rejected all these

three substantive changes. I have been in the trade union and have been, very frequently, in communication with the Labour Ministry. In a communication by the Labour Ministry, it is stated that the Standing Committee on Labour had okeyed most of the changes in the Bill. That's a falsehood, better not to indulge in that. But the basic fact remains that the issue, which we are dealing now, that is, the increase of the permissibility limit of overtime from 50 hours per quarter to finally 125 hours per quarter, was also dealt with by the Parliamentary Standing Committee on Labour and had also unanimously rejected it. They observed that this was superfluous. In view of the technological upgradation in the production system, it is superfluous. That needs to be reconsidered also in view of the impact of this change on the employment generation. That needs to be reconsidered; that needs to be revisited. But despite the unanimous recommendations of the Parliamentary Standing Committee, the same Bill is being pushed through without considering anything. I don't understand when your earlier Bill, that is, the Factories (Amendment) Bill, 2014 is alive and the Parliamentary Standing Committee has given its recommendations on the same, why a particular issue has been gagged against that and why another Bill, that is, the Factories (Amendment) Bill, 2016 is here? What is precisely the reason or the logic behind this kind of a bungling? I must say that this reflects legislative impropriety of the highest order, if not legislative corruption. This is not the way. If this kind of a thing is indulged in, I think, what is at stake. ...*(Time-bell rings)*... The Government and the Opposition will always be there.

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, he is from your own party. ...*(Interruptions)*...

SHRI TAPAN KUMAR SEN: No. That is not the point. That is why I wanted him not to be there. ...*(Interruptions)*...

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE; AND THE MINISTER OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI RAVI SHANKAR PRASAD): He is the Chair. ...*(Interruptions)*...

SHRI TAPAN KUMAR SEN: That is why I wanted him not to be there. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T.K. RANGARAJAN): I am doing my duty and he is doing his duty. ...*(Interruptions)*...

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Sir, let them not disturb my flow. What I am asking is: Why have you brought this particular thing? The Bill is still alive in the Parliament. What makes you to bring it forth? What is at stake is the credibility and trustworthiness. We may fight with one another about differences on policies and on difference of approach, but, by

[Shri Tapan Kumar Sen]

this exercise, what the Government has put at stake is the credibility and trustworthiness. That is dangerous for our democratic system. Please refrain from this.

Secondly, Sir, what is the reality at the workplaces today? I will request my friends and also the hon. Minister to roam around Delhi and the adjoining NCR areas like Ghaziabad, Faridabad, Haryana, Gurgaon and Dharuhera. You will find that twelve hours' work is the order of the day in most of the private factories. And, 80 per cent of them don't get any extra remuneration. That is the height of illegality! In some places, they do get some remuneration, but not at the required rate, which is double the rate of wages, as per the Factories Act. So, already, an ocean of illegality is reigining on your empire. But you are not addressing that. It is not that you do not know about this. I am a trade union official. At every occasion, we put this reality before you. Instead of addressing that, this ocean of illegality is being sought to be legalised by your legislative initiative taken in this. Is that the purpose of any legislative initiative? Well, you cannot catch hold of the offenders; you cannot tackle them; so, better legalise the crime that is going on. Should that be the approach of any legislative initiative? It is very clear that you are not moving in right direction. ...*(Time-bell rings)*... You are not working for labour. What has been demonstrated is the shameless desperation to serve the employer class. In your obsession for ensuring Ease of Doing Business, the ease of ensuring survival of the workers, the labour community, is not being done. The labour community is not your priority, because they are not donors. They are not donors; they are faceless voters. That is the tragedy of the working people of the country, who are, actually, contributing to your GDP, who are, actually, delivering revenue to your Exchequer, and who are, actually, generating profits for the employers. On a bunch of currency note, in a factory shed, value cannot be generated, value cannot be added, but value addition is the essential essence of production, which generates wealth for the nation. It is all because of the workers and they do not deserve this treatment! Practically, what are we going to gain out of this? Have you gone into this thing? The development of technology has reached a stage that what was produced in eight hours 15 years back can now be produced in one hour. In some places, it is half-an-hour. Do we read this situation? In view of the tremendous improvement, tremendous increase in the productivity of the labour because of the technological development, the need of the hour is to reduce the working hours. Instead of three-shifts, there should be four-shifts operation, six hours working. That is the need of the hour, not enhancing the overtime, not enhancing the permissibility limit of overtime, not taking initiative to legalize the illegality of 12-hours work in the workplace. That is not the need of the hour. That is not the need of the hour, particularly, when

unemployment is expanding like a cancer in our society, putting into serious danger the social fabric of peace and tranquility.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T.K. RANGARAJAN): Please conclude.

SHRI TAPAN KUMAR SEN: I am just going to conclude. Sir, what is the situation? Sir, so far as the GDP is concerned, it is increasing. You are claiming. You are claiming and we are accepting that GDP is increasing. But is it generating employment? In the last three years, what is the employment generation? Your own data says that in 2015-16, in eight most labour-intensive sectors, the employment generation was only 1,15,000 and as per the reply given by the hon. Labour Minister in this House, in 2016-17, out of these eight employment-intensive sectors, in four sectors, the net decline in the employment is to the tune of 18,000.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T.K. RANGARAJAN): Please conclude.

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Just concluding, Sir. It is to the tune of 18,000. There is job-loss. In such a situation, this indulgence to increase the overtime limit is just not permissible. So, in such a situation of extreme low employment elasticity scenario, any proposition for promoting more overtime work is a crime proposed to be committed against the millions of young, energetic job-seekers in the country. Let us not do such crime. ...*(Time-bell rings)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T.K. RANGARAJAN): Please conclude. Please conclude.

SHRI TAPAN KUMAR SEN: And in that direction, I have moved certain amendments in the Bill and I crave your indulgence that these amendments may kindly be accepted. That is what I pray to you. With this submission, I conclude. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T.K. RANGARAJAN): Shri Narendra Kumar Swain; not present. Shrimati Vandana Chavan; not present. Next is, Shri Vijayasai Reddy. Mr. Reddy, you have got five minutes.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY (Andhra Pradesh): Ten minutes, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T.K. RANGARAJAN): You have got two speakers.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Mr. Vice-Chairman, Sir, thank you very much for the opportunity.

[Shri V. Vijayasai Reddy]

On behalf of my Party and our Party President, Shri Y.S. Jaganmohan Reddy Garu, I rise to support the Bill. Sir, the stringent laws in India have restricted the growth, particularly, of industrial sector. If you compare the service sector contribution to the GDP with that of the manufacturing sector, the service sector contributes more rather than manufacturing sector because of the stringent laws. Now, through this Bill, it is proposed to relax certain conditions. Probably, this will contribute to the growth of the GDP. Sir, the service sector has grown annually at the rate of nine per cent since 2001 and contributed 57 per cent of the GDP in 2012-13, whereas, the manufacturing sector only recorded a negligible increase and contributed only 26 per cent to the GDP. Therefore, I sincerely feel that with this Amendment Bill, the ease of doing business would improve and that would contribute more towards the growth of GDP. The World Bank, in its 'Ease of Doing Business' Report, ranked India at a lowly position of 113. So, Labour law reforms would improve the ease of doing business and thus, support the Make-in-lndia vision. Of course, there are certain concerns. For instance, the Bill would have an adverse impact on employment generation because the number of extra hours would go up with this amendment. Apart from this impact on employment generation, there could be some negative impact on workers' health, industrial safety and workers' productivity. These are the concerns that we have. Even then, this Bill needs to be supported because it would contribute to the growth of GDP.

Sir, there is another point that I wish to bring to the notice of the hon. Minister. The Government had introduced the Factories (Amendment) Bill, 2014 on 7th August, 2014. Subsequently, it was referred to the Standing Committee on Labour and it had submitted its Report. That was a wider and more comprehensive Bill. The Committee had submitted its Report on 22nd December, 2014. The Bill included a wide range of provisions relating to workers' safety, night shift for women workers, various facilities for workers, etc. However, instead of discussing and passing that Bill, the Government introduced the Factories (Amendment) Bill, 2016 in the Lok Sabha on 10th August, 2016 and hurriedly passed it the same day. My question to the hon. Minister is this: Instead of considering and passing a more comprehensive Bill, which was introduced in 2014 by the NDA Government itself, why do you want to take some issues out of it, prepare another Amendment Bill and try to get it passed in both the Houses of Parliament? In my opinion, the Government should have worked towards holistic reforms instead of a piecemeal approach. These are the concerns that we are expressing. Sir, I would request the hon. Minister to consider these issues and introduce that earlier, more comprehensive Bill, as early as possible.

Sir, there is another important issue that I wish to bring to the notice of the hon. Minister. It is mandatory to have one Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court in every State, and every State has it. After the bifurcation of Andhra Pradesh into Andhra and Telangana, we had one at Hyderabad which is now serving both the States. But, after the bifurcation, Hyderabad has gone to Telangana. ...*(Time-bell rings)*...

Sir, you have not given me even three-four minutes. ...*(Interruptions)*...

Sir, after bifurcation of the State, my State of Andhra Pradesh is left with no Tribunal-cum-Labour Court. So, workers have to go to Hyderabad to resolve their disputes. Hence, I would request the hon. Minister to kindly consider setting up an Industrial Tribunal-cum-Labour Court in the Capital of Andhra Pradesh.

Sir, I am thankful for the opportunity that you have given me. We support the Bill.

SHRI T.K.S. ELANGOVAN (Tamil Nadu): Hon. Vice-Chairman, Sir, I was thinking that the Factories Act is an Act to protect the employees and workers. But now it is being slowly converted into an Act to protect the employers. That is why over-time is increased to burden the employees. Sir, already there is a great loss in employment by automation and mechanization in this country. Most of the industries are mechanized and automated. Now an increase in over-time is mechanizing the human beings; human beings will be made machines and they have to work more. That is not the way to treat our labourers.

This will, once again, reduce the scope for fresh employment. Even in Tamil Nadu, there are many engineering colleges which are being closed down because engineers don't find jobs. By increasing the over-time, you are closing the opportunity for freshers to get employment in industries. What is the need for increasing the overtime? To do this, some words are used here. These words are 'in the public interest'. I still find it difficult to understand the words 'public interest'. An Act intended to protect the labourers or an Act intended for the welfare of labourers should be amended 'in the public interest'. Does it mean that labourers are not public? Whom should an Act protect? The Act is intended for whom? It can't be changed 'in the public interest'. Can somebody define me what public interest is? Whether it is specific to this Act or it is a general term, I don't know. I know the meaning of 'public interest'. But 'public interest' cannot be there in every Act or legislation. This Government should understand this. They were talking about the unorganized labourers toiling and working in this country. When DMK was in power and our president, Dr. Kalaignar Karunanidhi, was the Chief Minister of Tamil Nadu, he formed about 13 Welfare Boards for the unorganized labourers, who can become members of the Welfare Boards by paying a small amount. In turn, that amount would be used for the

[Shri T.K.S. Elangovan]

5.00 P.M.

education of labourers and workers who could not work due to sickness or any accident, or for children of workers. So, such things can be brought. If the Government is really interested in the welfare of labourers, don't increase their over-time. Help them to have good work and peaceful work and entertainment so that they will be refreshed to work for the next day. As told by my colleague, in some places workers are working for twelve hours without reasonable wages — they get wages for eight hours but work for twelve hours. All these things should be controlled. There is an establishment under the Labour Department which has Inspectors of Labours and others who can go and visit factories and ensure that working hours are not increased. Workers can work for eight hours only. That was not easily got. Eight hours' work for workers or employees was obtained by shedding blood and after many killings. It was not an easy thing that employers gave the workers. So, that sacrifice should be respected and the Government should ensure that eight hours' work should be there. Any increase in over-time will definitely deprive the young fresh graduates of employment. The Government need not do this and this will have no impact. I am yet to find the meaning of the term 'public interest'. With these words, I oppose this Factories (Amendment) Bill.

SHRI MADHUSUDAN MISTRY (Gujarat): Sir, thank you very much for giving me this opportunity. To begin with, I draw the attention of the Treasury Benches to the discussion yesterday.

(MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair)*

While discussing the Aadhaar and while expressing our concerns for Aadhaar, some of the Members from the Treasury Benches mentioned that under the lobby of PDS, or under the lobbies who have supported the corruption, we were opposing all the good work of Aadhaar. That was mentioned yesterday. I am now asking the Labour Minister. I am drawing the attention of the Labour Minister. Under whose instance, has he brought this Bill? Which lobby is now very active to bring this amendment to the Factories Act? Which industrialists are more interested to bring an amendment for increasing the working hours of the labourers as such? I just want to know from the Labour Minister, and I hope that he will let me know this. Then, in the Bill, which was earlier circulated, there is one line saying that industry, and some of the factories, are in favour of this, and that is why they have brought this Bill. It is grossly and completely unjustified, and not only unjustified, it will be sucking the blood of the labourers and it will undo whatever the labour movement

of this country, and other countries of the world, has achieved so far. It was not easy to get the eight hours of work. People have shed their blood for getting that. Sir, what is the genesis? In the eighteenth century, in Britain and the USA, the labourers began to demand that the working hours should be fixed because they were not able to concentrate on work, not able to spend time with family and not able to sleep well. There were 10 to 16 hours of work a day in most of the industrial countries in the eighteenth century. Sir, I want to draw your attention to the fact that there was a strong movement. Around 1867 or so, in Britain and in the USA, there were labourers, who were demanding eight hours of work, eight hours of recreation and eight hours of sleep. At the same time, on the 1st May, around 300 thousand workers assembled in the USA to demand for these eight hours of work. I would like to tell the Labour Minister that in 1914, the Ford Motor Company was the first one, which had reduced the working hours of its employees, and not only that, it had also doubled the salaries of the workers. Within two years, it resulted into doubling the profit of the Ford Motor Company. So, don't think that by increasing the overtime, the production will increase.

Sir, I want to draw the attention of the Labour Minister that the Bill states that in one quarter, that is, 90 days or three months, the labour will not do overtime for more than 125 hours. So, entire 125 hours, or 100 hours, have to be adjusted, minus the 12 days of holiday, in 78 days. If the factories allow the workers to work overtime every day, it will be nearly nine-and-a-half hours every day. So, it will increase from eight hours to nine-and-a-half hours every day. If there is a gap in between, and if they want to complete 125 hours, or 100 hours, then it will take eight-plus-two hours minimum. So, it would become ten hours a day. By this Amendment, the Government is making a mandatory provision. A voluntary provision is already there that when the plants are shut down, all the technicians, labourers, and everybody will work for a longer time. They fulfil that. You are now amending that and making it compulsory for a labourer to work for a longer time. If the management says that you will have to work overtime, and if I say, 'no', the manager will serve me a show cause notice. I have to reply to that. Not only that, I will be subject to the discipline, I will be subject to the fine, and, I will be subject to all kinds of punishment, which is mentioned in the Industrial Disputes Act and other Acts. Is it what you want? Sir, labourers have fought for years. The first Trade Union Act came in 1926. There was no right to organize. The workers were paid wages in kind. In 1936, the first Payment of Wages Act came. In Ahmedabad Textile Mills, there was no limit of working hours. I worked for a trade union of textile workers for ten long years in my youthful days. I am not that old yet. But after my post-graduation, after quitting as a lecturer in a college, I joined the trade union movement. Sir, history shows that in Ahmedabad, 1921 onwards...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Mistry, I have no problem but your Party has only four more minutes. ...*(Interruptions)*...

SHRI MADHUSUDAN MISTRY: Sir, you allowed other also. Please adjust. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I only said that much. I gave you that information. That is all. ...*(Interruptions)*...

SHRI MADHUSUDAN MISTRY: Sir, because it is a very important subject, you have to increase the time. That is why, I always have a problem the way the Business Advisory Committee fixes the time. These are not the issues which are to be resolved within a two hours' debate, and, to finish it off. It has large repercussions. All the achievements of the labour movements in this country are being undone by this Bill. It is not a small amendment as such. These have very serious repercussions.

Sir, 1921 onwards, most of the textile mills and factories used to work for twelve hours a day, and, when the trade union people went into politics, they entered the freedom movement, the Ahmedabad Textile Mill had a strike for three months in order to support the 1942 Quit India Movement. Sir, India attained Independence in 1947. And, in 1948, as the first thing, the trade union movement — which was founded by Anasuya Sarabhai and supported by Mahatma Gandhi; for 21 days, Mahatma Gandhi sat on fast in order to demand for the workers' rights — brought the Factories Act in 1948 protecting the entire labour and the working class, and, that is when eight hours were fixed. Mr. Labour Minister, you are completely undoing all that. I do not understand why you are supporting the industrialists so much. Now, there is already a provision as per which those who want to work/overtime are working overtime. Why are you making it mandatory? Why are you bringing this Amendment as such? More you work does not mean more you produce. Sir, human body has a limitation. It cannot respond to the long hours of work. The history has shown it. I am quite surprised that the so-called progressive Government, which they claim now, is, in fact, increasing the hours of work rather than decreasing the same. There is so much unemployment in the country, and, instead of making it six hours or seven hours, you are making it ten hours. I am quite surprised with this kind of an attitude. Who are they supporting? Why have you brought this Bill? Which industrialists are after this? What kind of production will it increase? There is so much of unemployment. Take the people from ITI and others. Now, you also have the Skill Development Programme. Your Government has been claiming that it has put more than fourteen thousand crore of rupees. Put those young people, skilled people into a new shape. But you do not want to do it. You are only driven by the profit motive, which is the industrialists' sole motive.

Now it has become, not just profit, but it has become more profiteering. ...*(Time-Bell rings)*...

Sir, a research has shown that if you work for more than sixty hours a week, you are in fact weakening your body. Literally, we have been driving labourers towards, in fact, a low working life. We are driving them towards, in fact, a slow death. I would not mind him seeing that even. Sir, in fact, our families have passed through this. ...*(Time-bell rings)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, please conclude.

SHRI MADHUSUDAN MISTRY: I strongly oppose this Bill, Sir. I am not in support of this Bill because it is completely against the labour and working class of this country. My blood boils in the sense, Sir, that as a Labour Minister you have been telling in this House while speaking on the issue of child labour that you work very hard, you spend long hours in factories and other places and so on and so forth. Then, why did you bring this Bill in the first place? You are not a labour-friendly Minister as such, if I have to just accuse you. Sir, I am sorry to say all this because ...*(Interruptions)*... it is completely against the labour and working class. ...*(Interruptions)*... I oppose it and I request all the other parties and my friends to oppose this Bill tooth and nail, and not to pass this Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, with the consent of the House I take one-minute break. This one-minute break is to allow Mr. Chaudhary to withdraw a Bill, which I should have allowed him earlier. It is only a one-minute matter. I hope the House has no objection. Yes, Mr. Chaudhary.

The Tribunals, Appellate Tribunals and other Authorities (Conditions of Service) Bill, 2014

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE; AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI P. P. CHAUDHARY): Sir, I beg to move for leave to withdraw the Bill to provide for uniform conditions of service of the Chairman and Members, by whatever name called, of certain Tribunals, Appellate Tribunals and other authorities and for matters connected therewith or incidental thereto.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI P. P. CHAUDHARY: Sir, I withdraw the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, coming back to the subject, Shri Amar Shankar Sable.